

कार्यालय-अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,  
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।

E-mail:nodalofficerddn@gmail.com

Phone/ Fax: 0135-2767611

पत्रांक- 2651 /12-1 :देहरादून: दिनांक: 27 जून, 2024

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक,  
भारत सरकार,  
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,  
एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय,  
25 सुभाष रोड, देहरादून।

विषय:- जनपद पिथौरागढ़ के विधानसभा क्षेत्र गंगोलीहाट में रीठा रैतोली से भुवानी मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.89 हे० वन भूमि का लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन के संबंध में।

संदर्भ:- भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, (उत्तर केन्द्रीय क्षेत्र) देहरादून का पत्रांक-8 बी/यू०सी०पी०/०६/०९/२०२१/एफ०सी०/१०८४, दिनांक-21.11.2023।

महोदय,

भारत सरकार, के उपर्युक्त विषयक सन्दर्भित पत्र का संज्ञान लेने का कष्ट करें, जिससे भारत सरकार द्वारा विषयांकित प्रकरण में 04 बिन्दुओं की सूचना चाही गयी है। जिसकी सूचना वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा के पत्र दिनांक-3175/12-1, दिनांक-04.06.2024 द्वारा इस कार्यालय को उपलब्ध करायी गई है। जो कि निम्नानुसार प्रेषित की जा रही है:-

क्र० सं०	आपत्ति	निराकरण सूचना
1	इस कार्यालय के पत्र दि० 22.03.2021 का जबाब तय सीमा में नहीं दिया गया। अतः राज्य शासन से अनुरोध है कि गाईड लाईन के पैरा 1.20 के अनुसार प्रस्ताव के Nature and scope पर आवश्यक Comments प्रस्तुत करने का कष्ट करें।	वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड अल्मोड़ा एवं प्रभागीय वनाधिकारी, पिथौरागढ़, वन प्रभाग पिथौरागढ़ द्वारा अवगतनीय है कि प्रश्नगत मोटर मार्ग ग्राम रैतोली से प्रारम्भ होता है। मोटर मार्ग मायल गॉव के अन्तिम छोर में 5.00 किमी० लम्बाई में समाप्त होता है। मोटर मार्ग में ग्राम रैतोली, गुरना एवं मायल की 600 की आबादी लाभान्वित होगी। वर्तमान में ग्रामवासी लगभग 1.00 किमी० चढ़ाई के पश्चात् मोटर मार्ग तक पहुँचते हैं। उक्त मोटर मार्ग निर्माण से क्षेत्र की जनता तहसील मुख्यालय एवं विकास खण्ड मुख्यालय बेरीनाग से जुड़ जायेगी। ग्रामीणों को स्कूल, बैंक, स्वास्थ्य की सुविधा उपलब्ध हो पायेगी। स्थानीय उत्पाद हेतु बाजार उपलब्ध हो पायेगा। उक्त मार्ग निर्माण से भविष्य में बेरीनाग तहसील एवं ब्लॉक मुख्यालय से जिला पिथौरागढ़ की दूरी लगभग 20 से 22 किमी० कम हो जायेगी। अतः मार्ग निर्माण जनहित में मार्ग है।
2	यद्यपि राज्य सरकार द्वारा ये अवगत कराया गया है कि जिलाधिकारी के आदेश के अनुसार कुछ भाग पर मार्ग निर्माण किया गया है किन्तु आदेश में उल्लिखित भू-भाग के Status 9 (3) इ से ये दर्शित होता है कि मार्ग निर्माण से पूर्व FCA 1980 के अन्तर्गत मंजूरी ली जानी चाहिए थी, जो नहीं ली गयी अतः ये FCA 1980 के प्रावधानों का उल्लंघन है। अतः आपसे अनुरोध है कि तदनुसार प्रभागीय वनाधिकारी से 3A & 3B में आवश्यक कार्यवाही कर सूचित करने का कष्ट करें।	बिन्दु सं० 02 के क्रम में अवगतनीय है कि उत्तराखण्ड शासन वन एवं पर्यावरण अनुभाग-3, देहरादून के पत्र सं० 866/X-3-2011/8(21)/2010 दि० 28-09-2011 द्वारा अधिसूचना जारी की गई थी कि राज्यपाल महोदय द्वारा भारतीय वन अधिनियम 1878 की धारा-28 के अधीन जारी अधिसूचना सं० 869 एफ/638 दि० 17-10-1893 को विखण्डित कर दिया गया है (संलग्नक -1) इसी क्रम में प्रमुख सचिव, उत्तराखण्ड शासन, वन एवं पर्यावरण, अनुभाग-3, देहरादून के पत्रांक 883(1)/X-3 -2011 दि० 04 अक्टूबर 2011 के क्लोज-4 के उपक्लाज 1 एवं 2 में यह स्पष्ट किया गया है कि क्लोज-4(1) अधिसूचना सं० 869 एफ/638 दि० 17-10-1893 जिसके अन्तर्गत तत्समय गढ़वाल, अल्मोड़ा व नैनीताल जिले के नैनीताल राव-डिवीजन के गॉवों की ऐसी बेनाप वन तथा बंजर भूमि जो आरक्षित वन में सम्मिलित नहीं थी, को रक्षित वन घोषित किया गया था, को अधिसूचना सं० 866/X-3-2011/8(21)/2010 दि० 28-09-2011 द्वारा विखण्डित किये जाने के उपरान्त अब

ए/ए

		<p>प्रभावी नहीं है। क्लाज -4 (2) अधिसूचना सं0 869 एफ/638 दि0 17-10-1893 के विखण्डित होने पर उक्त से आच्छादित भूमि अब 'रक्षित वन' नहीं है और 'रक्षित वन' से सम्बन्धित भारतीय वन अधिनियम 1927 के प्राविधान भूमि पर लागू नहीं होंगे(संलग्नक -2)</p> <p>उक्तानुसार तत्समय प्रचलित दिशानिर्देशों के अनुरूप जिलाधिकारी पिथौरागढ़ द्वारा अपने आदेश सं0 395 /7-8/2017 -18 दि0 29-11-2017 द्वारा इस विभाग को बंजर काबिल आबाद श्रेणी 9(3)ड की 0.92 है0 भूमि का हरतान्तरण, प्रश्नगत मोटर मार्ग के प्रारम्भ में कुछ भाग के निर्माण हेतु किया गया था (संलग्नक-3)</p> <p>भूमि के हरतान्तरण से पूर्व वन विभाग एवं राजस्व विभाग के द्वारा भी संयुक्त निरीक्षण किया गया था, जिसमें उक्त भूमि से गुजरने वाले संरक्षण का वृक्ष विहीन होने की रिपोर्ट प्रदत्त है (संलग्नक-4)</p> <p>उक्तानुसार वृहद जनहित में तत्समय प्रचलित नियमों के अनुरूप जिलाधिकारी पिथौरागढ़ द्वारा कुछ भाग पर मार्ग निर्माण किये जाने हेतु राज्य सरकार की वृक्ष विहीन भूमि, श्रेणी 9 (3) ड बंजर काबिल आबाद को इस विभाग को हरतान्तरित किया गया था। अतः जो भी कार्य तत्समय सम्पादित किया गया है। वह विधिवत् तथा नियमानुसार है</p>
3	ग्राम मायल पूर्व में ही दूसरी ओर से पुल से जुड़ा हुआ है। अतः मायल तक मार्ग को ले जाने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है। राज्य सरकार इस सन्दर्भ में औचित्य प्रस्तुत करने का कष्ट करें।	प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि ग्राम मायल अभी तक मोटर मार्ग से नहीं जुड़ा हुआ है। उत्तराखण्ड सरकार की सड़क नीति के अनुसार ऐसे ग्राम जो मोटर मार्ग से 100 मी0 की उर्ध्वाधर दूरी पर हों, ही जुड़े हुये माने जायेंगे (संलग्नक-5) ग्राम मायल वर्तमान में निर्मित मोटर मार्ग से 200 मी0 से अधिक उर्ध्वाधर दूरी पर है तथा रामगंगा नदी पर जो सेतु दिखाई दे रहा है वह पैदल सेतु है। इसलिए ग्राम मायल को जोड़ा जाना औचित्यपूर्ण है।
4	Existing मार्ग को ग्राम गुरना तक बढ़ा कर मानचित्र के बिन्दु सं0 9 तक ही सीमित कर regularization के लिए प्रस्तावित किया जा सकता है। राज्य सरकार इस सन्दर्भ में स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने का कष्ट करें।	प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि मार्ग को ग्राम गुरना तक ले जाना हिल रोड मैनुअल IRC:48, IRC:52, IRC:SP-20, की ज्योमैट्रिक तथा तकनीकी विशिष्टियों के अनुरूप सड़क सुरक्षा की दृष्टि से आवश्यक है (संलग्नक-6) मार्ग को बिन्दु सं0 9 तक सीमित करने में मार्ग का Grade अधिक हो जायेगा सड़क सुरक्षा के दृष्टिगत तथा Codal provision के अनुसार यह उपयुक्त नहीं होगा। इसलिए मार्ग की लम्बाई को ग्राम गुरना तक बढ़ाया गया है।

अतः प्रश्नगत प्रकरण पर वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊं वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा/प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा प्रेषित सूचना के क्रम में वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत यथोचित कार्यवाही करने का कष्ट करें।  
संलग्न- यथोपरि।

भवदीय,

(आर0के0मिश्र)

प्रमुख वन संरक्षक नोडल अधिकारी,  
वन संरक्षण उत्तराखण्ड, देहरादून।

संख्या-2651/12-1/दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊं वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा।
2. प्रभागीय वनाधिकारी, पिथौरागढ़ वन प्रभाग, पिथौरागढ़।
3. अधिशासी अभियन्ता, लो0नि0वि0, बेरीनाग, पिथौरागढ़।

(आर0के0मिश्र)

प्रमुख वन संरक्षक नोडल अधिकारी,  
वन संरक्षण उत्तराखण्ड, देहरादून।

संलग्नक -1

उत्तराखण्ड शासन  
वन एवं पर्यावरण अनुभाग-3  
संख्या:- 866/X-3-2011/8(21)/2010  
देहरादून:- दिनांक:- 28 सितम्बर, 2011

अधिसूचना

राज्यपाल, भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा-29 सपठित साधारण खण्ड अधिनियम, 1897 की धारा-21 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके भारतीय वन अधिनियम, 1878 की धारा-28 के अधीन जारी अधिसूचना संख्या-869 एफ/638 दिनांक 17.10.1893 को विखण्डित करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

(सुभाष कुमार)  
मुख्य सचिव

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. सचिव, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
2. सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
3. प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
4. प्रमुख सचिव, राजस्व विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
5. प्रभारी सचिव, गोपन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
6. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
7. स्टाफ अफसर, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
8. प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड।
9. आयुक्त गढ़वाल/कुमाऊँ, उत्तराखण्ड।
10. समस्त अन्य प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड।
11. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
12. समस्त अपर प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड।
13. समस्त मुख्य वन संरक्षक, उत्तराखण्ड।
14. समस्त वन संरक्षक, उत्तराखण्ड।
15. समस्त प्रमाणीय वनाधिकारी, उत्तराखण्ड।
16. निदेशक, सूचना विभाग, उत्तराखण्ड।
17. निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रुड़की, उत्तराखण्ड को उक्त अधिसूचना की 150 प्रतियाँ आधिकारिक गजट के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ।
18. समस्त जिला विकास अधिकारी, उत्तराखण्ड।
19. निदेशक, एन0आई0सी0, उत्तराखण्ड।
20. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,  
Rajeev Gupta  
(राजीव गुप्ता)  
प्रमुख सचिव

प्रमुख

राज्य मुंडा  
प्रमुख सचिव  
जलसंयोजक विभाग

सद्य में,

प्रमुख वन सचिव  
जलसंयोजक विभाग

दिनांक - 04 अक्टूबर 2011

यस एक पर्यावरण अनुमान-3

विषय - राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों की वनाप वन एवं वन्य भूमि को रक्षित वन घोषित किया जाने वाली अधिसूचना सं० 869 एफ/638 दिनांक 17.10.1993 को अधिसूचना सं० 866/ए-3-2011/8(21)/2010 दिनांक 28.09.2010 द्वारा विखण्डित जिले तथा जे उपरान्त प्रस्ताव में प्रभावी स्थिति को स्पष्ट किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय

भारतीय वन अधिनियम 1875 की धारा 26 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग कर अधिसूचना संख्या 869 एफ/638 दिनांक 17.10.1993 जारी की गयी थी जिसके अन्तर्गत तत्समय गढ़वाल अल्मोड़ा व नैनीताल जिले के नैनीताल तहसील-डिवीजन के गाँवों की एसी वनाप वन तथा वन्य भूमि को आरक्षित वन में सम्मिलित नहीं की जा सकित वन घोषित किया गया था।

2- कालांतर में अधिसूचना संख्या 869 एफ/638 दिनांक 17.10.1993 द्वारा अधिसूचना संज्ञित वन के सम्बन्ध में श्री पी०एल० मुनिया दत्तात्रेय प्रमुख सचिव वन विभाग उत्तर प्रदेश शासन का पत्र संख्या 1566/14-2-97-800(11)/1997 दिनांक 17.03.1997 द्वारा विधिक स्थिति स्पष्ट की गयी थी।

3- शासन द्वारा संयुक्त विचारमर्यादा अधिसूचना संख्या 869 एफ/638 दिनांक 17.10.1993 का अधिसूचना संख्या 866/ए-3-2011/8(21)/2010 दिनांक 28.09.2010 (छायापत्र संलग्न) द्वारा विखण्डित कर दिया गया है। इस प्रकार अधिसूचना संख्या 869 एफ/638 दिनांक 17.10.1993 वर्तमान में प्रभावी नहीं है और शासनादेश संख्या 1566/14-2-97-800(11)/1997 दिनांक 17.03.1997 का अन्तर्गत जिला तत्समय विधिक स्थिति को स्पष्ट किया गया था, उसमें परिवर्तन हो गया है।

4- अतः मुझे अधिसूचना संख्या 869 एफ/638 दिनांक 17.10.1993 के विखण्डित हान पर उत्पन्न होने वाली जिज्ञासाओं का निवारण व समस्त सन्बन्धित विभागों के मार्गदर्शन हेतु यत्नान में प्रभावी विधिक स्थिति को निम्नानुसार स्पष्ट किये जाने का निदेश हुआ है -

1. अधिसूचना संख्या 869 एफ/638 दिनांक 17.10.1993, जिसके अन्तर्गत तत्समय गढ़वाल अल्मोड़ा व नैनीताल जिले के नैनीताल तहसील-डिवीजन के गाँवों की एसी वनाप वन तथा वन्य भूमि, जो आरक्षित वन में सम्मिलित नहीं थी, को रक्षित वन घोषित किया गया था, का अधिसूचना संख्या 866/ए-3-2011/8(21)/2010 दिनांक 28.09.2010 द्वारा विखण्डित किये जाने के उपरान्त अब प्रभावी नहीं है।




आवेश

राजस्व अनुभाग-2 उत्तराखण्ड शासन देहरादून के शासनादेश संख्या-1887/XXVIII (II)/2016-18(169)/2016 दिनांक 30.07.2016 एवं वित्त (वि.आ.-सा.नि.) अनुभाग-7 के शासनादेश संख्या-111/XXVIII(7)50(39) 15/2016 दिनांक 09.07.2016 में विहित प्राविधानों के आधार पर जनपद विश्वीयागढ़, तहसील बेरीजाग अन्तर्गत शिवा रैतोली से मूलाकी तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु माप रैतोली पट्टी रिवोली के गैर जयि, खेती की खाता संख्या-11 श्रेणी (3)इ बंजर काबिल आवाद के खेत नम्बर 724 रकबा 0.031 है०, 725 रकबा 0.031 है०, 752 रकबा 0.025 है०, 820 रकबा 0.030 है०, 821 रकबा 0.031 है०, 822 रकबा 0.031 है०, 823 रकबा 0.080 है०, 871 रकबा 0.006 है०, 880 रकबा 0.005 है०, 914 रकबा 0.040 है०, 934 रकबा 0.030 है०, 062 रकबा 0.005 है०, 989 रकबा 0.030 है०, 1002 रकबा 0.031 है०, 1023 रकबा 0.025 है०, 3082 रकबा 0.003 है०, 3083 रकबा 0.048 है०, 3083 रकबा 0.020 है०, 3215 रकबा 0.040 है०, 3227 रकबा 0.005 है०, 3317 रकबा 0.010 है०, 3355 रकबा 0.023 है०, 3374 रकबा 0.145 है०, 3388 रकबा 0.160 है० कुल 24 खेत रकबा 0.905 है० तथा खाता संख्या-22 श्रेणी-10(6) बंजर नाकाबिल आवाद के खेत नम्बर 3325 रकबा 0.010 है०, 3405 रकबा 0.005 कुल 02 खेतों की 0.015 है० इस प्रकार कुल नौ खातों के कुल 26 खेतों की 0.920 है० राज्य भूमि को वित्त अनुभाग-3 के शासनादेश संख्या-260/वित्त अनुभाग-3/002 दिनांक 15.02.2012 के प्राविधानों तथा जिला योजना की प्रशासनिक रीतीकृति दिनांक 29.07.2012 के क्रम में निम्न लिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अंकीन ऑफ निर्माण विभाग उत्तराखण्ड को निःशुल्क हस्तान्तरण की रीतीकृति प्रदान की जाती है।

1. भूमि पर कोई धार्मिक अथवा ऐतिहासिक महत्व की इमारत न हो।
2. जिस परियोजना के लिए भूमि हस्तान्तरित की जा रही है वह एक अनुमोदित परियोजना हो और उसके लिए शासन से सहमति प्राप्त हो चुकी है।
3. हस्तान्तरित भूमि यदि प्रस्तावित कार्य से विन्न प्रयोजन के लिए उपयोग की जाये तो उसके लिए मूल विभाग से पुनः अनुमोदन प्राप्त करना होगा।
4. यदि भूमि की आवश्यकता न हो या 03 वर्षों तक हस्तान्तरित भूमि प्रस्तावित कार्य के लिए उपयोग में नहीं लायी जाती है तो वह मूल विभाग में स्वतः ही निहित हो जायेगी।
5. जिस प्रयोजन हेतु भूमि हस्तान्तरित की जा रही है उसके विन्न किसी अन्य प्रयोजन हेतु किसी अन्य व्यक्ति, संस्था, समिति अथवा विभाग आदि को मूल विभाग की सहमति के बिना हस्तान्तरित नहीं की जायेगी।
6. जिस प्रयोजन हेतु भूमि आवंटित की जा रही है उसके पूर्ति के उपरान्त यदि भूमि अवशेष पड़ी रहती है, तो मूल विभाग को उसे वापस लेने का अधिकार होगा।
7. प्रश्नगत भूमि पर वन संरक्षण अधिनियम-1980 के प्राविधान लागू होने की दशा में भूमि के उपयोग का परिवर्तन गैर वानिकी कार्य हेतु तभी अनुमन्य होगा जब उक्त अधिनियम के अन्तर्गत नियत प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर ली जायेगी।
8. प्रश्नगत नॉन जेर.ए. भूमि आवंटन के पूर्व जमींदारी विनारा एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम की धारा-132 के समकक्ष एवं अन्य सुसंगत प्राविधानों का अनुपालन उप जिलाधिकारी द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
9. इस संबंध में सिविल अपील संख्या-1132/2011(एस.एल.पी.)/सी संख्या-3109/2011 श्री जगपाल सिंह एवं अन्य बनाम पंजाब राज्य एवं अन्य तथा सिविल अपील संख्या-438/2011@SLP (C) NO.20203/2007 झारखण्ड राज्य व अन्य बनाम पाकूर जागरण मंच व अन्य में मा० सर्वोच्च न्यायालय के आदेश दिनांक जनवरी 2011 एवं अन्य संगत निर्देशों का भी अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

h


क्रमसं-02 पर/



10. आवंटन की अवधि समाप्त होने अथवा उपरोक्त शर्तों के विन्दु संख्या-01 से 09 में से किसी भी शर्त का उल्लंघन होने की स्थिति में प्रश्नगत भूमि निर्माण सहित राजस्व विभाग में निहित हो जायेगी, जिसके लिए कोई प्रतिकर देय नहीं होगा।

अतः उक्तनुसार स्वीकृत भूमि का सीमांकन कर याचक विभाग के नाम हस्तान्तरण एवं नामान्तरण की कार्यवाही शीघ्र सुनिश्चित की जाय।

दिनांक नवम्बर 20, 2017



  
(सी० रविशंकर)  
जिलाधिकारी, पिथौरागढ़।  
Ae h


कार्यालय जिलाधिकारी पिथौरागढ़।  
संख्या-395/सात-8/2017-18

दिनांक नवम्बर 29, 2017

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. सचिव, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड शासन देहरादून।
2. उष जिलाधिकारी बेरीनाग।
3. अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग बेरीनाग।
4. तहसीलदार बेरीनाग को इस आशय से प्रेषित कि प्रश्नगत भूमि का सीमांकन कर प्रस्तावक विभाग के नाम हस्तान्तरण एवं नामान्तरण उपरान्त अनुपालन आख्या इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, खसरे की प्रति संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।

  
(सी० रविशंकर)  
जिलाधिकारी, पिथौरागढ़।  
h

परियोजना का नाम - जिला योजना के अर्न्तगत जनपद पिथौरागढ़ के विकास खण्ड बेरीनाग में रीठा रैतोली से मुवानी तक मो०मार्ग का विस्तार लम्बाई 3.00 किमी०

### संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट

आज दिनांक 31-01-17 को लोक निर्माण विभाग बेरीनाग द्वारा जिला योजना के अर्न्तगत जनपद पिथौरागढ़ के विकास खण्ड बेरीनाग में रीठा रैतोली से मुवानी तक मोटर मार्ग का विस्तार लम्बाई 3.00 कि०मी० में बनाये जाने हेतु स्थल निरीक्षण किया गया। संयुक्त निरीक्षण में वन विभाग की ओर से श्री द्वारिका प्रसाद वन दरोगा राजस्व विभाग की ओर से श्रीमती अजन्ता दुग्ताल राजस्व उपनिरीक्षक प्रस्तावक विभाग की ओर से श्री दीप चन्द्र पाण्डे सहायक अभियन्ता एवं श्री दीपक कुमार कनिष्ठ अभियन्ता स्थानीय प्रतिनिधि की ओर से श्री प्रमोद धारियाल के द्वारा प्रस्तावित मोटर मार्ग बनाने हेतु सर्व श्रेष्ठ स्थल / समरेखन के चयन हेतु भाग लिया गया संयुक्त निरीक्षण में पाया गया कि सामाजिक आवश्यकता आर्थिक मितव्ययता तथा तकनीकी आवश्यकता की दृष्टि से समरेखन / स्थल सर्वथा उपयुक्त है। समरेखन में किसी भी प्रजाति का कोई भी वृक्ष प्रभावित नहीं हो रहा है। समरेखन वृक्ष विहीन है। मोटर मार्ग के निर्माण में 0.92 हे० सिविल भूमि एवं 1.78 हे० नाप भूमि प्रभावित हो रही है। इस प्रकार कुल 2.70 हे० भूमि मोटर मार्ग निर्माण में प्रभावित हो रही है।

सहायक अभियन्ता  
आयोजना निरीक्षण विभाग  
बेरीनाग (पिथौरागढ़)

प्रमोद कुमार

प्रमोद कुमार धारियाल

अधिसूचना  
आयोजना निरीक्षण विभाग  
बेरीनाग (पिथौरागढ़)

अधिसूचना  
आयोजना निरीक्षण विभाग  
बेरीनाग (पिथौरागढ़)

वनक्षेत्राधिकारी  
बेरीनाग

तहसीलदार

उपजिलाधिकारी  
बेरीनाग



22/11/17


संलग्न-4 (10)

परियोजना का नाम - जिला योजना के अन्तर्गत जनपद पिथौरागढ़ के विकास खण्ड बेरीनाग में शीटा रैतोली से मुवानी तक मोटर मार्ग का विस्तार लम्बाई 3.00 कि०मी०

समरेखन वृक्ष विहीन होने का प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि जिला योजना के अन्तर्गत जनपद पिथौरागढ़ के विकास खण्ड बेरीनाग में शीटा रैतोली से मुवानी तक मोटर मार्ग का विस्तार लम्बाई 3.00 कि०मी० में कोई भी वृक्ष किसी भी प्रजाति का प्रभावित नहीं हो रहा है। संयुक्त निरीक्षण में प्रस्तावक विभाग, राजस्व विभाग एवं वन विभाग के प्रतिनिधि द्वारा इसकी पुष्टि कर ली गई है। अतः समरेखन वृक्ष विहीन है।

प्रतिनिधि  
प्रस्तावक विभाग

  
प्रतिनिधि  
वनविभाग


प्रतिनिधि  
राजस्व विभाग




सहायक अभियन्ता  
अन्वय खण्ड 3000 कि० मि०  
बेरीनाग (पिथौरागढ़)

अभिभाषी अभियन्ता  
अन्वय खण्ड, पौ०/वि०/पि०  
बेरीनाग (पिथौरागढ़)

वनक्षेत्राधिकारी  
बेरीनाग

  
20.11.17

  
09/11/17  
सिंहसालदार  
बेरीनाग

  
उपजिलाधिकारी  
बेरीनाग  
श्रीवा पिथौरागढ़

संलग्नक-5

संख्या (8)67/11(2)/16-16(सामान्य)/2018

प्रेषक,

एसओएसओ टोशिया,  
संयुक्त सचिव,  
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

✓ प्रमुख अभियन्ता,  
लोक निर्माण विभाग,  
उत्तराखण्ड, देहरादून।

लोक निर्माण विभाग-2

देहरादून: दिनांक : 3/ दिसम्बर, 2018

विषय: लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत मोटर मार्गों/रोडों के निर्माण की योजना/प्रस्ताव तैयार किये जाने हेतु नीति का प्रख्यापन।


महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत मोटर मार्गों/रोडों के निर्माण की योजना/प्रस्ताव तैयार किये जाने तथा लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत विभागीय वार्षिक आय-व्ययक में प्राविधानित बजट को विभिन्न योजनाओं/मदों में विभाजित किये जाने के उद्देश्य से सम्यक विचारोपरान्त एतद्वारा निम्नवत नीति तत्काल प्रभाव से लागू की जाती है :-

- (i) राज्य मार्गों, मुख्य जिला मार्गों एवं अन्य जिला मार्गों के मानकानुसार नवीनीकरण हेतु वर्तमान स्थिति के सापेक्ष लगभग 25% धनराशि पृथक से प्रत्येक वार्षिक बजट में प्राविधानित की जाय।
- (ii) सड़क सुरक्षा हेतु वार्षिक बजट के आकार की 6% एवं पुलों के निर्माण तथा रख-रखाव के लिये वार्षिक बजट के आकार की 15% धनराशि वार्षिक बजट में प्राविधानित की जाय।
- (iii) वार्षिक बजट की शेष धनराशि लगभग 65% नवनिर्माण एवं ग्रामीण मार्ग/हल्का याहन मार्ग/वार्षिक अनुस्क्षण के लिए प्राविधानित की जाय।
- (iv) राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों की भौगोलिक परिस्थिति, भूगर्भीय संरचना तथा वन एवं पर्यावरण के दृष्टिगत मार्ग से 100 मीटर की ऊर्ध्वाधर (Vertical) दूरी पर स्थित ग्राम को मोटर मार्ग से स्वतः ही संयोजित माना जाय।
- (v) जिन ग्रामों/आवायियों को किसी न किसी मार्ग से सड़क संयोजकता पूर्ण से ही जुलग हो, उन ग्रामों/आवायियों को अतिरिक्त/दोहरी मार्ग संयोजकता सामान्यतः प्रदान न की जाय।
- (vi) राज्य के सीमित वित्तीय संसाधनों को देखते हुये 05 किमी० से अधिक लम्बाई के मोटर मार्गों को स्वीकृति हेतु द्वितीय चरण में प्रस्तावित न किया जाय, वरन् अधिक लम्बाई वाले ऐसे मोटर मार्गों को एक एक करके (One by one) विभिन्न चरणों में स्वीकृति प्रदान की जाय।
- (vii) ऐसे मार्गों को, जो कि राज्य मार्ग या अन्य जिला मार्ग की श्रेणी में नहीं हैं तथा जिनमें प्रतिदिन यातायात 400 गाड़ी याहन से कम हैं, को बी.एम./एस.डी.बी.सी. द्वारा न किया जाय।
- (viii) समस्त आवादी वाले भागों को मुख्य भागों में निर्माण हेतु edge to edge ब्लॉक टॉप/इन्टरलॉकिंग सी०सी० टार्पल्स अथवा Brick on Edge तथा पक्की नाली निर्माण का प्राविधान अवरय रखा जाय।

क्रमांक.....पृष्ठ 2 पर

- (ix) मुख्यमंत्री आन्तरिक सम्पर्क योजना के तहत 500 मी० से अधिक लम्बाई एवं 4.25 मी० से अधिक चौड़ाई के मोटर मार्गों तथा 20 मीटर से अधिक लम्बाई के सेतुओं के निर्माण हेतु मा० विधायकों की प्राथमिकता वाले प्रस्तावों को लिया जायेगा। 02 लेन से कम चौड़ाई वाले मार्गों को सी०सी० के स्थान पर इन्टरलॉकिंग टाईल्स से किया जाय, जो M-40 से कम नहीं होगी।
- (x) MORTH के परिपत्र संख्या : NH-15017/28/2018-P&M दिनांक 23.03.2018 के अनुसार पहाड़ी क्षेत्रों में 3000 PCUs प्रतिदिन से अधिक परन्तु 8000 PCUs से कम यातायात होने पर Intermediate lane(5.50 m) का प्राविधान, 10000 से अधिक PCUs यातायात होने पर 02 लेन अर्थात् 07मी० कैरिज वे का निर्माण एवं 10000 से अधिक PCUs तथा, 10 प्रतिशत प्रतिवर्ष से अधिक Traffic Growth पर 07 मी० कैरिज वे Paved Shoulder के साथ मार्ग निर्माण का प्राविधान किया जाय।
- (xi) नये मोटर मार्गों के लिए सामान्य अनुरक्षण कार्यों हेतु कार्य समाप्ति के defect liability period सहित 03 वर्ष तक के लिये अनुबन्ध में ही यह प्राविधान कर दिया जाए कि मोटर मार्गों का अनुरक्षण भी सम्वन्धित ठेकेदार द्वारा प्रथम वर्ष हेतु कुल लागत का 0.5 प्रतिशत, द्वितीय वर्ष हेतु कुल लागत का 1.00 प्रतिशत तथा तृतीय वर्ष हेतु कुल लागत का 1.5 प्रतिशत की दरों पर किया जाय। इस अवधि में सामान्य अनुरक्षण मद से कोई धनराशि आर्बिटित नहीं की जायेगी।
- (xii) पैदल/झूला सेतुओं के निर्माण में Carriage way की चौड़ाई 1.80 मी० तक सीमित रखी जाय। ग्रामीण भागों में नदी पर 02 किमी० से कम दूरी पर दूसरा सेतु निर्मित न किया जाय।
- (xiii) सामान्यतः Single lane में निर्मित होने वाले Steel bridges के अन्तर्गत 67 मी० स्पान तक Modular bridges का निर्माण किया जाय, जिन्हें कि भविष्य में आवश्यकता पडने पर Two lane अथवा किसी भी सीमा तक Multi lane में विस्तारित किया जा सके।
- (xiv) प्रदेश में रू० 10.00 करोड़ से अधिक लागत तथा 60 मी० से अधिक स्पान के सेतुओं को E.P.C. (Engineering Procurement Construction) Mode के माध्यम से करवाया जाय। विश्व बैंक परियोजनाओं के लिये यह प्राविधान उनकी सहमति पर ही लागू होंगे अन्यथा नहीं।
- (xv) लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत पूर्ण में स्वीकृत ऐसे निर्माण कार्यों, जिनकी वनभूमि की स्वीकृति विलम्ब से प्राप्त होने, स्थानीय स्तर पर विवाद होने या अन्य कारणों से श्रमिक/सामग्री की दरों में अत्यधिक वृद्धि होने के फलस्वरूप पूर्ण स्वीकृत लागत में कार्य पूर्ण किया जाना सम्भव न हो, की पुनरीक्षित स्वीकृति को प्राथमिकता प्रदान की जाय।
2. कृपया उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
3. यह आदेश वित्त अनुभाग-2 के अशासकीय संख्या-378/XXVII/(2)/2018 दिनांक 31 दिसम्बर, 2018 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय  
  
 (एस०एस० टोलिया)  
 संयुक्त सचिव



Decks of small cross drainage structures (culverts and minor bridges) should follow the same profile as the flanking road section without any break in the grade line.

**2.11.1. Gradient :** The rate of rise or fall with respect to the horizontal along the length of road expressed as ratio or a percentage is termed as the "gradient". Gradient should be carefully selected keeping in view the design speed and terrain. Various levels of gradients which are generally adopted for roads are as given below:

- Ruling gradient:** It is a gradient, which in the normal course must never be exceeded in any part of road.
- Limiting gradient:** It is a gradient steeper than the ruling gradient, which may be used, in restricted lengths where keeping within the ruling gradient is not feasible.
- Exceptional gradient:** It is a gradient steeper than the limiting gradient, which may be used in short stretches only in extraordinary situation.

Gradient upto the 'ruling gradient' may be used as a normal course in design. The 'limiting gradients' may be used where the topography of a place compels this or where the adoption of gentler gradients would involve additional cost. In such case also, the length of continuous grades steeper than the ruling gradients should be as short as possible.

'Exceptional gradients' are meant to be adopted only in very difficult situations and for short length not exceeding 100 m at a stretch. In mountainous and steep terrain, successive stretches of exceptional gradients must be separated by a minimum length of 100 m having gentler gradients. Recommended gradient for different classes of terrain except at hair-pin bends are given in Table 2.19. The rise in elevation over a 2 km length shall not exceed 100 m in mountainous terrain and 120 m in steep terrain. In hilly terrain, gradient should be such that it can be negotiated with the least change of gears by heavier vehicles to save time and operation cost.

TABLE 2.19. RECOMMENDED GRADIENTS FOR DIFFERENT TERRAIN CONDITIONS

Terrain	Ruling Gradient	Limiting Gradient	Exceptional Gradient
Plain and rolling	3.3 Per cent (1 in 30)	5 Per cent (1 in 20)	6 Per cent (1 in 16.7)
Mountainous terrain and steep terrain having elevation more than 3,000 m above the mean sea level	5 Per cent (1 in 20)	6 Per cent (1 in 16.7)	7 Per cent (1 in 14.3)
Steep terrain having elevation more than 3,000 m above the mean sea level	6 Per cent (1 in 16.7)	7 Per cent (1 in 14.3)	8 Per cent (1 in 12.5)

In the plain area, as the road is used by slow moving bullock carts and motor vehicles, gradient adopted should be such that it will not have adverse effect on bullock cart traffic.

**2.11.2. Grade compensation at curves :** At horizontal curves, the gradients should be eased by an amount known as the 'Grade Compensation' which is intended to offset the requirement of extra tractive effort at curves. This may be calculated from the following formula:

$$\text{Grade compensation (per cent)} = (30 + R) / R$$

Subject to a maximum of 75/R, where R is radius of the curve in meters.

Since grade compensation is not necessary for gradients flatter than 4 per cent, while compensation of the grade they need not be eased beyond 4 per cent.

$$R = \frac{\text{Chord}^2}{8 \text{ Offset}}$$

## 6.9 Vertical Alignment

### 6.9.1 General

6.9.1.1 Broken-back grade lines, i.e. two vertical curves in the same direction separated by a short tangent, shall be avoided due to poor appearance, and preferably replaced by a single curve.

6.9.1.2 Decks of small cross-drainage structures (i.e. culverts and minor bridges) shall follow the same profile as the flanking road section, with no break in the grade line.

6.9.1.3 Recommended gradients for different terrain conditions, except at hair-pin bends, are given in Table 6.12.

Table 6.12 Recommended Gradients for Different Terrain Conditions

Classification of Gradient	Mountainous Terrain and Steep Terrain more than 3000 m above MSL	Steep terrain up to 3000 m height above MSL
Ruling Gradient	5% (1 in 20.0)	6% (1 in 16.7)
Limiting Gradient	6% (1 in 16.7)	7% (1 in 14.3)
Exceptional	7% (1 in 14.3)	8% (1 in 12.5)

6.9.1.4 Gradients up to the 'ruling gradient' may be used as a matter of course in design.

6.9.1.5 The 'limiting gradients' may be used where the topography of a place compels this course or where the adoption of gentler gradients would add enormously to the cost. In such cases, the length of continuous grade steeper than the ruling gradient shall be as short as possible.

6.9.1.6 'Exceptional gradients' are meant to be adopted only in very difficult situations and for short lengths not exceeding 100 m at a stretch. Successive stretches of exceptional gradients must be separated by a minimum length of 100 m having gentler/flatter gradient.

6.9.1.7 The cumulative rise/fall in elevation over 2 km length shall not exceed 100 m in mountainous terrain and 120 m in steep terrain.

6.9.1.8 *Escape lanes*: Where long, continuous descending grades exist or where topographic and location controls require such grades on new alignment for a length of 2 kms or more, the design and construction of an emergency escape ramp for a length of 2 kms or more, interval of about 2 kms is desirable for the purpose of slowing and stopping an out-of-control vehicle away from the main traffic stream. These lanes may be useful in bringing the vehicles to halt in case of emergency due to brake failure. The lanes are constructed with reverse gradients to provide deceleration of vehicles with arrester bed suitably located. Specific guidelines for the design of escape lanes are lacking at this time. However, guiding principle for design and layout of escape lane as per AASHTO practice is appended (Appendix-3).

6.9. Vertical Alignment

6.9.1. General

6.9.1.1. Broken-back grade lines, i.e. two vertical curves in the same direction separated by a short tangent, should be avoided due to poor appearance, and preferably replaced by a single curve.

6.9.1.2. Decks of small cross-drainage structures (i.e. culverts and minor bridges) should follow the same profile as the flanking road section, with no break in the grade line.

6.9.1.3. Recommended gradients for different terrain conditions, except at hair-pin bends, are given in Table 6.11.

Table 6.11. Recommended Gradients for Different Terrain Conditions

Classification of Gradient	Mountainous terrain and steep terrain more than 3000 m above MSL	Steep terrain upto 3000 m height above MSL
Ruling Gradient	5% (1 in 20.0)	6% (1 in 16.7)
Limiting Gradient	6% (1 in 16.7)	7% (1 in 14.3)
Exceptional	7% (1 in 14.3)	8% (1 in 12.5)

6.9.1.4. Gradients upto the 'ruling gradient' may be used as a matter of course in design.

6.9.1.5. The 'limiting gradients' may be used where the topography of a place compels this course or where the adoption of gentler gradients would add enormously to the cost. In such cases, the length of continuous grade steeper than the ruling gradient should be as short as possible.

6.9.1.6. 'Exceptional gradients' are meant to be adopted only in very difficult situations and for short lengths not exceeding 100 m at a stretch. Successive stretches of exceptional gradients must be separated by a minimum length of 100 m having gentler/flatter gradient.

6.9.1.7. The cumulative rise/fall in elevation over 2 Km length shall not exceed 100 m in mountainous terrain and 120 m in steep terrain.

6.9.2. Grade compensation at curves

6.9.2.1. At horizontal curves, the gradients should be eased by an amount known as 'grade compensation' which is intended to offset the extra tractive effort involved at curves. This is calculated by the following formula.

$$\text{Grade compensation (per cent)} = \frac{30+R}{R} \text{ subject to}$$

maximum of  $75/R$  where R is radius of the curve in metres. Since grade compensation is not necessary for gradients flatter than 4 per cent, when applying grade compensation correction, the gradients need not be eased beyond 4 per cent.